पत्र संख्या–20एम०–वि०प०(तारांकित)–13 / 2023

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

ममता मीनाक्षी,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः– **प्रो० नवल किशोर यादव, माननीय स० वि० प० द्वारा बिहार विधान परिषद् के 205वाँ सत्र में पूछा जानेवाला ऑनलाईन तारांकित प्रश्न संख्या–1 / 205 / 326, दिनांक–02.11.2023 के स्थानान्तरण के संबंध में।**

प्रसंगः– बिहार विधान परिषद् सचिवालय से ऑनलाईन प्राप्त ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि विषयांकित प्रश्न **शिक्षा विभाग** से संबंधित है।

अतएव बिहार विधान परिषद् सचिवालय से प्राप्त ऑनलाईन प्रश्न की छायाप्रति संलग्न करते हुये अनुरोध है कि वांछित उत्तर बिहार विधान परिषद् सचिवालय को ससमय भेजते हुये उसकी प्रति संसदीय कार्य विभाग एवं वित्त विभाग को भी देने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

ह०/–
(ममता मीनाक्षी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– **/वि०, पटना, दिनांक–**

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना को तारांकित ऑनलाईन प्रश्न संख्या–**1 / 205 / 326** के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
(ममता मीनाक्षी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– /वि०, पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, वित्त विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
(ममता मीनाक्षी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 9941 /वि०, पटना, दिनांक– 07-11-2023

प्रतिलिपिः– श्रीमती रश्मि रेखा, सिस्टम एनालिस्ट, से अनुरोध है कि स्थानान्तरण संबंधी ऑनलाईन अपलोडिंग सुनिश्चित की जाए।

06/11/23
(ममता मीनाक्षी)
सरकार के उप सचिव।

Bihar Vidhan Parishad Question

1/205/326

आदेश निर्गत करने का विचार कबतक

30/10/2023 02/11/2023

*1/205/326 प्रो. नवल किशोर यादव(शिक्षक पटना)

वित्त विभाग

(क) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग के संकल्प सं.- 1470, दिनांक-27.09.2016 द्वारा सात निश्चय योजना के अंतर्गत राज्य के 12वीं पास छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु स्टुडेंट क्रेडिट कोर्ड योजना अंतर्गत 4 लाख की सहयोग राशि प्रदान की गई;

(ख) क्या यह सही है कि आमना सुभानी, पिता- मो. मसूद रजा को स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजनान्तर्गत Ref. No.- 1478/D.R.C.C., Dated-11.09.2017 को 4 लाख रुपये की राशि फीस के आधार पर निर्देशित सिंडिकेट बैंक (केनरा बैंक) किदवईपुरी पटना द्वारा दी गई;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त लोन पढ़ाई खत्म होने के तीन साल बाद 1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से लौटाना था लेकिन चिन्हित बैंक द्वारा 9.95 प्रतिशत की दर से लोन निर्गततिथि से ब्याज मांगा जा रहा है, जो न्यायोचित नहीं है;

(घ) क्या यह सही है कि बैंक द्वारा यह तुगलकी फरमान बिहार के सभी छात्र-छात्राओं पर लागू किया जा रहा है, जो लोन लिए हुए हैं उन छात्रों का खाता बैंकों द्वारा बंद किया जा रहा है, छात्र-छात्राओं के आगे की लोन की किस्त रोकी जा रही है, बैंक द्वारा छात्रों और अभिभावकों को Legal Notice भी दी जा रही है, अभिभावक का भी बैंक खाता निष्क्रिय किया जा रहा है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार के छात्र-छात्राओं के हित में संबंधित बैंकों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए छात्रों की दी जाने वाली लोन के ब्याज की वसूली नियमानुसार करने हेतु आदेश निर्गत करने के साथ लोन की अगली किस्त छात्रों को अविलंब उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?